Mihir Bhoj P.G. College

Dadri-Greater Noida (UP)

Codes of Conduct

for

Teachers, Students and Non-Teaching Staff

May 2022

शिक्षकों के लिए आचार संहिता

(Code of Conduct for Teaching Staff)

1– शिक्षक एवं उनके दायित्व–

जो कोई भी शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाता है उसका दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे। एक शिक्षक लगातार अपने छात्रों और समाज की समीक्षा के अधीन रहता है इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी कथनी और करनी के बीच कोई भेद नहीं हो। पहले से ही निर्धारित शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्शों और उन्हें छात्रों तक प्रसार करना एक शिक्षक का आदर्श होना चाहिए। इस व्यवसाय में आगे यह भी आवश्यक है कि शिक्षक शांत, धैर्यवान, मिलनसार, मैत्रीपूर्ण स्वभाव का हो।

एक शिक्षक को–

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जिनकी समुदाय उनसे आशा करता है;
- उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबन्ध करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;
- अध्ययन और शोध के माध्यम से लगातार पेशेवर विकास जारी रखना चाहिए;
- ज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने के लिए पेशेवर बैठकों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों इत्यादि में भागीदार करने एवं मुक्त व मैत्रीपूर्ण विचार व्यक्त करने चाहिए;
- पेशेवर संगठनों में सक्रिय सदस्यता को बनाये रखना चाहिए और उनके माध्यम से शिक्षा और व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए;
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से शिक्षकों एवं अनुशिक्षकों को अपने प्रायोगिक ज्ञान, संगोष्ठियों और शोध कार्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;
- शिक्षण और शोध में साहित्य चोरी और अन्य अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना और उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए;
- विश्वविद्यालय के अधिनियम, संविधि और अध्यादेश का पालन करना चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए;
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक दायित्वों से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि : प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, छात्रों को परामर्श देना और उनका मार्गदर्शन और निगरानी करना, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन करने सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित करने में सहायता करना। सामुदायिक सेवा सहित सह पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्य–कलापों के विस्तार में भागीदारी करना;

2– शिक्षक और छात्र–

शिक्षक को :

- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए;
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए;
- छात्रों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;
- छात्रों को उनकी उपलब्धियों में उत्तरोत्तर सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए और सामुदायिक कल्याण में योगदान देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए;

- ❖ छात्रों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति, जिज्ञासा का भाव और लोकतन्त्र, देश भक्ति, सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण व शांति के आदर्श का संचरण करना चाहिए;
- ❖ छात्रों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए;
- ❖ गुणों का मूल्यांकन करने में छात्र की केवल उपलब्धियों पर ध्यान देना चाहिए;
- ❖ कक्षा के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए;
- ❖ छात्रों में हमारी राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय उद्देश्यों की समझ विकसित करने में सहायता करनी चाहिए;
- ❖ अन्य छात्रों, सहपाठियों, शिक्षकों अथवा प्रशासन के विरूद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए;

3– शिक्षक और सहयोगी शिक्षक–

शिक्षक को :

- ❖ पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करते हैं;
- ❖ अन्य शिक्षकों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;
- ❖ उच्च प्राधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाने से बचना चाहिए;
- ❖ अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए;

4– शिक्षक और प्राधिकारी–

शिक्षक को :

- ❖ लागू नियमों के अनुसार अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और अपने स्वयं के संस्थागत निकाय और/अथवा व्यवसायिक संगठनों के माध्यम से पेशे के लिए घातक ऐसे नियम में परिवर्तन के लिए कदम उठाने के लिए पेशे के अनुकूल प्रतिक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करना चाहिए जो पेशेवर हित में हों।
- ❖ निजी ट्यूशन और अनुशिक्षण कक्षाओं सहित अन्य कोई रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;
- ❖ विभिन्न पदों का कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति के निर्माण एवं निष्पादन में सहयोग करना;
- ❖ अन्य संस्थाओं की नीतियों के निर्माण में अपने संगठनों के माध्यम से सहयोग करके पदों को स्वीकार करना चाहिए;
- ❖ पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के दृष्टिगत रखते हुए संस्थाओं की बेहतरी हेतु प्राधिकरणों का सहयोग करना चाहिए;
- ❖ परिशिष्ट शर्तों का अनुपाल करना चाहिए;
- ❖ किसी स्थिति में नियोजन में परिवर्तन से पहले उचित नोटिस देना चाहिए और ऐसे नोटिस की अपेक्षा करनी चाहिए;
- ❖ अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियाँ लेने से बचेंगे और जहाँ तक संभव हो सके शैक्षणिक सत्र को पूरा करनें हेतु अपने विशेष उत्तदायित्वों के मद्देनजर छुट्टी लेने से पहले सूचना प्रदान करनी चाहिए;

5– शिक्षक और समाज–

शिक्षकों को चाहिए कि :

- ❖ इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जनसेवा है और संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;

- शिक्षा में सुधार करने और समाज के नैतिक और बौद्धिक जीवन को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करें;
- सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो;
- नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लें और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;
- ऐसे क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परन्तु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करें।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

(Code of Conduct for Non-Teaching Staff)

1. सह–शैक्षणिक कर्मचारी और उनके दायित्व– एक कर्मचारी का दायित्व होता है कि वह पेशे के आदर्शों के अनुरूप अपने आचरण को बनाये रखे।
2. एक सह–शैक्षणिक कर्मचारी को–

- ऐसा जिम्मेदारी भरे आचरण तथा व्यवहार का पालन करना चाहिए जैसा कि महाविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक, परिजन आदि उनसे आशा करते है;
- उन्हें अपने निजी मामलों का इस प्रकार से प्रबंधन करना चाहिए जो कि पेशे की प्रतिष्ठा के अनुरूप हों;
- विवेकपूर्ण और समर्पण भावना से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना चाहिए;
- उन्हें अनैतिक व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए;
- महाविद्यालय के नियमों व कार्यालय आदेशों का पालन करना चाहिए और महाविद्यालय के आदर्शों, विजन, मिशन, सांस्कृतिक पद्धतियों और परम्पराओं का आदर करना चाहिए।
- महाविद्यालय और सह–शैक्षणिक दायित्वों से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन करने में सहयोग और सहायता प्रदान करना जैसे कि– प्रवेश हेतु आवेदनों का मूल्यांकन करने में सहायता करना, शुल्क जमा करना, परीक्षाएं आयोजित कराने में सहायता करना, प्रशासनिक कार्यों को पूरी क्षमता से निष्पादित करना, विद्यार्थी हित में कार्य करना एवं अतिरिक्त दिये गये कार्यों का समय से पूरा करना आदि।
- सामुदायिक सेवा सहित सह–पाठ्यचर्या कार्यकलापों के विस्तार में भागीदारी करना।
- छात्रों को विचार व्यक्त करने के उनके अधिकारों और प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए।
- छात्रों के धर्म, जाति, लिंग, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक गुणों को ध्यान में नहीं रखते हुए उनसे निष्पक्ष और बिना भेदभाव व्यवहार करना चाहिए;
- विद्यार्थियों के व्यवहार और क्षमताओं में अन्तर को पहचानना और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए;
- विद्यार्थियों के साथ सम्मान से व्यवहार करना और किसी भी कारण के लिए किसी के साथ प्रतिशोधात्मक तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए;
- महाविद्यालय के समय के बाद भी छात्रों के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना और बिना किसी लाभ और पुरस्कार के छात्रों की सहायता करनी चाहिए;
- विद्यार्थियों, सहपाठियों, शिक्षकों अथवा प्रशासन के विरूद्ध छात्रों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए;
- पेशे से जुड़े अन्य सदस्यों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह स्वयं के साथ पसंद करेंगे;
- अन्य कर्मचारियों के बारे में आदरपूर्वक बात करना और पेशेवर बेहतरी के लिए सहायता देनी चाहिए;
- उच्च प्राधिकारियों के विरूद्ध आरोप लगाने से बचना चाहिए;
- अपने पेशेवर प्रयासों में जाति, रंग, धर्म, प्रजाति अथवा लिंग संबंधी विचारों को नहीं आने देना चाहिए;
- लागू नियमों के अनुसार अपने व्यावसायिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए;
- ऐसे अन्य रोजगार और प्रतिबद्धता से दूर रहना चाहिए, जिससे उनके पेशेवर उत्तरदायित्वों में हस्तक्षेप होने की संभावना हो;
- विभिन्न कार्यभार स्वीकार करके और उक्त पदों के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करके संस्था की नीति निर्माण में सहयोग करना;
- पेशे की मर्यादा के अनुरूप और हितों के मद्देनजर संस्थाओं की बेहतरी हेतु सहयोग करना चाहिए;
- नियुक्ति पत्र में अंकित शर्तों का अनुपालन करेंगे;
- अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त छुट्टियां लेने से बचेंगे और जहाँ तक संभव हो सके छुट्टी लेने से पूर्व सूचना प्रदान करेंगे;
- शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य को निष्पादित करने में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे;

- इस बात को स्वीकार करें कि शिक्षा एक जन सेवा है और संस्था द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रयास करें;
- समाज में शिक्षा में सुधार करने और समाज को दुदृढ़ करने के लिए कार्य करें;
- सामाजिक समस्याओं से अवगत हों और ऐसी क्रियाकलापों में भाग लें जो समाज की प्रगति और कुल मिलाकर देश की प्रगति में सहायक हो;
- नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करें, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग ले और सरकारी सेवा के उत्तरदायित्वों में सहायता करें;
- ऐसी क्रियाकलापों में भाग लेने से और सदस्य बनने या किसी भी प्रकार से सहायता करने से बचें जो विभिन्न समुदायों, धर्मों या भाषाई समूहों में नफरत और दुश्मनी को बढ़ावा देती हो, परंतु राष्ट्रीय एकता के लिए सक्रिय होकर कार्य करे;
- पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी व सर्वोच्च नैतिकता के साथ आचरण करें;
- कार्य और शिक्षा के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्वपूर्ण, इष्टतम तथा प्रभावी तरीके और कुशलता के साथ संसाधनों के प्रबंधन में महाविद्यालय प्रबंधन का सहयोग करें;
- महाविद्यालय में सहयोग, साझा करने और परामर्श से कार्य करने की संस्कृति को बढ़ावा दें;
- ऐसी कार्य संस्कृति और नैतिकता को बढ़ावा देने का प्रयास करें जो राष्ट्र और समाज के लिए गुणवत्ता, व्यावसायिकता, संतुष्टि और सेवा प्रदान करे;
- अपने पेशेवर प्रयासों के माध्यम से जाति, पंथ, धर्म, नस्ल, लिंग पर विचार करने से बचें;
- आचरण और व्यवहार में ऐसे उत्तरदायित्वपूर्ण प्रतिमानों का अनुपालन करें जिसकी समाज उनसे अपेक्षा करता है;
- विद्यार्थियों के हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे;
- विद्यार्थी किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित नहीं करेंगे;
- समय–समय पर अपने व्यवसायिक कौशल व ज्ञान को बढ़ायेंगे,
- महाविद्यालय को ज्ञान का मन्दिर समझकर विद्यार्थियों व शिक्षकों का भरपूर सहयोग करेंगे;
- हर प्रकार की जिम्मेवारी का कुशलता से निर्वाह करेंगे।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

(Code of Conduct for Students)

- ❖ सभी विद्यार्थी अपना महाविद्यालय का परिचय–पत्र सदैव अपने साथ रखेंगे और किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर उसे अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों के लिए सत्र के आरम्भ में आयोजित होने वाले दीक्षारम्भ कार्यक्रम में उपस्थित होना अनिवार्य है।
- ❖ सभी विद्यार्थी अपनी कक्षा/प्रयोगशाला में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होंगे एवं कक्षा के दौरान अन्यत्र नहीं घूमेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के मुख्य द्वार, कक्षा, प्रयोगशाला, कार्यालय एवं पुस्तकालय में व्यर्थ में एकत्रित नहीं होंगे और न ही शोर करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी अपने रिक्त समय में पुस्तकालय/वाचनालय का समुचित प्रयोग करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी अपना वाहन निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करेंगे। कॉलेज में किसी अन्य स्थान पर वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है। वाहन की सुरक्षा के लिए छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- ❖ महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन दण्डनीय अपराध है।
- ❖ सभी विद्यार्थी सभी के साथ नम्रतापूर्वक व्यवहार करेंगे एवं किसी भी स्थान पर वार्तालाप में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तथा न ही आवेश में आकर हिंसात्मक व्यवहार करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी नियमित रूप से महाविद्यालय का सूचना पट/वेबसाइट/फेसबुक पेज देखेंगे एवं तदनुसार आचरण करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी किसी भी अवस्था में महाविद्यालय की व्यवस्था भंग नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का संचालन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी धर्म/भाषा/प्रान्त/राजनैतिक विचारधारा/जाति/लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे तथा मानवता एवं मानव प्रेम के आधार पर ही व्यवहार करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में श्यामपट्ट/दीवारों पर कुछ नहीं लिखेंगे और न ही पोस्टर चिपकायेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में कोई हैण्डबिल/पेम्पलेट वितरित या चस्पा नहीं करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी अन्य संस्थाओं के छात्रों, अपने सम्बन्धियों एवं मित्रों को महाविद्यालय में नहीं लायेंगे। ऐसा करने पर वे दण्ड के भागी होंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस व अन्य राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएंगे।
- ❖ महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग दस्ता सक्रिय है। प्रवेश से पूर्व छात्र/छात्रा तथा अभिभावक को एण्टी रैगिंग सम्बन्धित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। रैगिंग में संलिप्त पाये जाने पर छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- ❖ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए "कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न" (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013) की सभी धाराओं का पालन करना अनिवार्य है।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखेंगे और अनुशासनहीनता की स्थिति में अनुशासन समिति कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय को 'प्लास्टिक–मुक्त' रखने में अपना योगदान देंगे और पॉलीथीन/प्लास्टिक के थैलियों का प्रयोग नहीं करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने में अपना सहयोग देंगे और कूड़े का निस्तारण उचित रूप से करेंगे।

- ❖ सभी विद्यार्थी अपनी अभिरूचि के अनुसार सांस्कृतिक, खेलकूद और पाठ्य सहगामी गतिविधियों में बढ़–चढ़ कर प्रतिभाग करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अध्यापकों, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों, सहपाठियों व आगन्तुकों से उत्कृष्ट व्यवहार करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् पाठ्य सामग्री एवं पाठ्य सहगामी गतिविधियों की जानकारी के लिए निरन्तर महाविद्यालय की वेबसाइट एवं अपने शिक्षकों के सम्पर्क में रहें।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय के गुणवत्ता परक शिक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में अपना सम्पूर्ण सहयोग देंगे। सभी विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी गतिविधियों एवं अभिरूचि कौशल विद्या के आधार पर अपने समग्र व्यक्तित्व का विकास करेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर में शालीन वस्त्रों में उपस्थित हों।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे कक्षा समय के उपरान्त बेवजह महाविद्यालय परिसर में नहीं रूकेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे देशप्रेम और भाईचारे की भावना को आत्मसात करेंगे और ऐसी गतिविधियों में समय–समय पर प्रतिभाग करेंगे।
- ❖ महाविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों का सभी विद्यार्थियों के लिए पालन करना अनिवार्य है।
- ❖ सभी विद्यार्थी सत्र के प्रारम्भ में आवंटित होने वाले मेन्टर की सूची के दृष्टिगत अपनी समस्याओं के निदान के लिए अपने निर्धारित मेन्टर (शिक्षक) के लगातार सम्पर्क में रहें।
- ❖ सभी विद्यार्थी जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक रहेंगे और पानी का दुरूपयोग नहीं करेंगे और ना ही करने देंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि अधिक से अधिक वृक्ष लगायेंगे एवं उनके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि महाविद्यालय के द्वारा छात्र हित/छात्रवृत्ति सम्बन्धित योजनाओं के लिए निर्धारित तिथि तक आवेदन करना सुनिश्चित करें।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से यह भी अपेक्षा है कि वे समुदाय केन्द्रित गतिविधियों में प्रतिभाग करें।
- ❖ महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी स्मार्टफोन, टेबलेट, डेस्कटॉप आदि का प्रयोग करते हुए उचित आदर्श आचार संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें। आपत्तिजनक व्यवहार की स्थिति में विद्यार्थी के खिलाफ साइबर अपराध की उचित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- ❖ सभी विद्यार्थी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (IPR) से संबंधित सभी धाराओं का पालन करेंगे और पुस्तकालय में उपलब्ध पठन सामग्री का उचित प्रयोग करेंगें।
- ❖ सभी विद्यार्थी महाविद्यालय के प्रतिबिम्ब हैं, अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय परिसर, परिवार एवं सार्वजनिक स्थलों पर आदर्श आचरण का परिचय दें।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले 'छात्र फीडबैक फार्म' को निर्धारित समय पर भरकर जमा करना सुनिश्चित करें।
- ❖ सभी विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अकादमिक गतिविधियों के साथ–साथ रोजगार परक प्रशिक्षण में भी प्रतिभाग करें।
- ❖ उपर्युक्त आचार संहिता का पूर्ण/आंशिक उल्लंघन करने पर विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही को चरित्र पंजिका में उल्लिखित किया जाएगा जिसका उत्तरदायित्व विद्यार्थी का स्वयं का होगा।